

प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

**दांडिक अपील क्रमांक 84-85 / 2019**

[विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) क्रमांक 3167-3168 / 2015 से उद्भूत]

योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र सिंह

अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**न्यायमूर्ति श्री एस.ए. बोबडे**

अनुमति प्रदान की गई ।

2. यह अपीलें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के उस निर्णय दिनांक 12.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो सत्र न्यायालय, अम्बा, जिला मुरैना (म. प्र.) द्वारा अपने सत्र विचारण क्रमांक 388 / 2013 में निर्णय दिनांक 24.07.2014 द्वारा अपीलार्थी को दिए गए मृत्युदण्डादेश की पुष्टि करता है । अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 302, 326 (क) एवं 460 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है एवं उसे क्रमशः मृत्युदंड, आजीवन कारावास (तीन की गणना में) एवं प्रत्येक पर 25,000/- रुपये का अर्थदण्ड, एवं दस वर्षों का कठोर कारावास एवं व्यक्तिगत की शर्तों सहित 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड, का दण्डादेश दिया गया है । यह मृत्युदण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अंतर्गत निर्देश (रिफरेन्स) पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :- अपीलार्थी को श्रीमति रुबी पर तेजाब डालकर उसकी हत्या करने हेतु दोषसिद्ध किया गया है । सत्र न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्युदण्ड दिया है । इस घटना में मृतक की दादी चन्द्रकला (अ. सा. 3) एवं मृतक का कोई भतीजा

राजू (अ. सा. 7) एवं मृतक का भाई जानू (अ. सा. 4) भी आहत हुए थे । अपीलार्थी को इन लोगों पर तेजाब फेंककर विरुपित करने व आहत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 (क) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है

3. सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी पर, श्रीमति चन्द्रकला, राजू और जानू प्रत्येक को देय 1,00,000 /— रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया । उच्च न्यायालय ने प्रतिकर को बढ़ाया तथा अभिनिर्धारित किया कि जानू 3 लाख रुपये की राशि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी था एवं चन्द्रकला एवं राजू प्रत्येक को जो कि उतने विरुपित नहीं थे, को अभिनिर्धारित किया कि वे 1.5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी थे ।

4. मृतक रुबी का विवाह श्री संजय गुप्ता से हुआ था और उस विवाह से उसकी दो संतानें थी । अपीलार्थी ने उसका लालच किया तथा पति ने अपनी मृतक-पत्नि तथा अपीलार्थी के मध्य प्रेम प्रसंग की शंका की तथा इस संबंध में उस पर आरोप लगाते हुए उसे उत्पीड़ित किया । तत्पश्चात् मृतिका अपने मामा के साथ रहने आ गई । अपीलार्थी ने मृतिका के पिता (अ. सा. 8) पर उसे पोरसा बुलाने का दबाव डाला और उसकी मांग पूरी ना करने पर भयानक परिणाम की धमकी दी ।

ग्रीष्म की उस अपशकुनी रात्रि में, मृतक और उसके परिवार के सदस्य अपने-अपने कक्ष में सोने गए । गर्मी के कारण दरवाजों को खुला रखा गया था । कुछ बल्बों से कक्षों तथा आंगन में प्रकाश था । अपीलार्थी चोरी छिपे मृतक के कक्ष में आया और चेतावनी दी “भले ही वह उसके साथ नहीं रहना चाहती वह उसे किसी के साथ नहीं रहने देने वाला” । यह सुनकर मृतक का पिता दाताराम (अ. सा. 8) उठा और अपीलार्थी को अपनी बेटी पर तेजाब फेंककर भागते हुए देखा । मृतक ने चीखना शुरू किया जिस पर परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे बचाने का प्रयास किया, अपीलार्थी ने पुनः परिवार के अन्य सदस्यों पर तेजाब फेंका जिसने उन सभी को जलाया व घायल किया । इस हमले में मृतक को उसके पूरे शरीर में 90 प्रतिशत तक जलने की चोटें (Burn injuries) पहुंची ।

5. इस मोड़ पर, हम यहाँ कहना चाहते हैं कि भले ही हमने संपूर्ण अभिलेख का विस्तार से परीक्षण किया है, फिर भी हम इस निर्णय में साक्ष्य के समस्त पहलुओं की चर्चा करना आवश्यक नहीं मानते । हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता को मृतक श्रीमति रुबी की हत्या कारित करने के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया गया है । प्रकरण की समस्त परिस्थितियाँ और विशेष रूप से श्रीमति रुबी का मृत्युकालिक कथन, बिना चूके इंगित करता है कि वह ही है जिसने हत्या कारित की थी । उन साक्षियों के वृत्तांत में कोई अनुमान, अटकलबाजी अथवा अनुमान आधारित निष्कर्ष नहीं है, जिन्होंने इस कार्य में अपीलार्थी को देखा तथा जो स्वयं उसके तेजाब हमले के पीड़ित थे ।

6. वह साक्ष्य, जो स्वयं का असंदिग्ध होने की अनुशंसा करता है, वह यह है : दिनांक 21.07.2013 को पोरसा में अपीलार्थी अपराध करने के पश्चात् घटनास्थल से भागा । वह दिनांक 11.09.2013 को मुंचखण्ड ढोलापुर से गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उस बीयर की शीशी को बरामद कराया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हमले में प्रयुक्त तेजाब को ले जाने में प्रयुक्त हुई । अन्वेषण अधिकारी ने आगे यह कहा कि अपीलार्थी के अंगुलियों के निशान तथा बीयर की शीशी में पाए गए अंगुलियों के निशान मिलते हैं । विशेषज्ञ ने प्रतिवेदित किया है कि शीशी में पाए गए अंगुलियों के निशान व अपीलार्थी के अंगुलियों के निशान एक और एक ही व्यक्ति के हैं ।

7. मानसिंह पावक (अ. सा. 10 ) पोरसा में तहसीलदार / कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था । उसे पोरसा के थाना प्रभारी द्वारा मृतक एवं आहत जानू के मृत्युकालिक कथन कराये जाने हेतु बुलाया गया था । वह स्पष्ट रूप से कहता है कि मृतक अपने कथन देने के समय सचेत मानसिक अवस्था में थी तथा उसने मृत्युकालिक कथन पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था । मृतक ने अपने मृत्युकालिक कथन में कहा है कि अपीलार्थी जोगेन्द्र सिंह ने उस पर तेजाब उड़ेलकर उसे जलाया था, उसने आगे कहा कि अपीलार्थी उसे फोन पर तंग किया करता था तथा गालियाँ दिया करता था । आहत जानू मृत्युकालिक कथन भी इस आशंका से लिया गया था कि जानू जीवित नहीं रहेगा । फिर भी, कथन अभिलेख पर है तथा उचित रूप से साबित किया गया है ।

हम इस बात से सहमत हैं कि मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य हेतु उच्चतम संभावित महत्व दिया जा सकता है और यह अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिये मजबूत नींव प्रदान करता है । यह विनिश्चय करना आवश्यक नहीं है कि क्या जानू का मृत्युकालिक कथन ग्राह्य है क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हुई । चूंकि जानू ने अ. सा. 4 के रूप में कथन दिये हैं; इसलिये हम जानू (अ. सा. 4), श्रीमती चंद्रकला (अ. सा. 3) जो कि मृतक की दादी हैं और उसे भी चोटें आई हैं, की साक्ष्य को संगत तथा विश्वसनीय पाते हैं ।

तीनों सभी साक्षियों ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उन पर भी तेजाब फेंका । वास्तव में, तेजाब ने जानू के चेहरे को विरूपित कर दिया है ।

मृतक के पिता दाताराम (अ. सा. 8) ने कथन किया है कि जैसे ही उसने मृतक की चीख सुनी वह बाहर आया और अपीलार्थी को स्थान से भागते हुऐ देखा । हम पाते हैं कि उपरोक्त साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि को किसी युक्तियुक्त संदेह के परे पर्याप्त रूप से उचित ठहराता है । शेष साक्ष्य संगत, निश्चयात्मक एवं विश्वसनीय है ।

8. हालांकि, प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि इसका वह क्या विशेष कारण है जिससे कि अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिये । निःसंदेह “विशेष कारण” पद का आशय उन कारणों से होता है जो विशेष प्रकार का है ना कि सामान्य कारण । वर्तमान प्रकरण में एक कारक है, जो मृत्युदंड के अधिरोपण का उचित कारण हो सकता है, जैसा कि शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोर देकर कहा गया । वह कारण यह है कि अपीलार्थी ने इस अपराध को तब कारित किया जब वह एक अन्य प्रकरण में जमानत में बाहर था जिसमें उसे हत्या के लिये दोषसिद्ध किया गया है तथा उसकी सजा यथावत रखी गयी है ।

निःसंदेह इस तथ्य की उपेक्षा किया जाना कठिन है, किन्तु हम पाते हैं कि इस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर दण्ड अधिरोपित किया जाना सुरक्षित है । निश्चित रूप से, यदि दोनों ही प्रकरणों का स्वरूप एक जैसा दिखता है तो हत्या के लिये द्वितीय दोषसिद्धि हेतु मृत्युदंड के अधिरोपण के लिये वह उचित कारण होगा । लेकिन वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ होना प्रतीत नहीं होता । पूर्ववर्ती घटना इस प्रकरण की परिस्थितियों से पूर्ण रूप से असंबंधित है । अपीलार्थी को किसी किरण नर्स सहअभियुक्त के साथ 27.07.1994 और 18.07.1994 की दरम्यानी रात को किसी लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण सिंह की हत्या कारित करने हेतु आरोपित किया गया था । वर्तमान घटना 21.07.2013 को हुई और आखिरी घटना वर्तमान घटना से 10 वर्ष पूर्व हुई थी ।

9. इस प्रकरण में जो हमारे समक्ष है, घटना उस अपीलार्थी से संबंधित है जो मृत्तिका के साथ अपने संबंधों में निराश था और उसे विश्वास था कि मृत्तिका ने उसे त्याग दिया था । प्रकरण की परिस्थितियों और विशेष रूप से तेजाब का चुना जाना मृत्तिका की हत्या की नृशंस योजना को प्रकट नहीं करता है । अन्य कई प्रकरणों के समान मृत्तिका को गम्भीर रूप से घायल किये जाने अथवा विरुपित किये जाने का आशय प्रकट होता है; इस प्रकरण में हम सोचते हैं कि इस आशय ने हमले को उस योजना से अधिक गंभीर बना दिया जिससे, मृत्तिका की मृत्यु हो गई । यह संभव है कि जो सोचा गया था वह चोट थी ना कि मृत्यु ।

10. हमने उपरोक्त विचार किसी भी रूप में अपीलार्थी के कृत्यों को क्षमा करने हेतु नहीं किया है, बल्कि मात्र यह अभिनिर्धारित करने के लिये किया है कि वर्तमान प्रकरण में कोई भी ऐसा विशेष कारण प्रतीत नहीं होता जो अपीलार्थी पर मृत्युदंड के अधिरोपण को उचित ठहराये । बचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (1980) 2 SCC 684 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :-

“209. ऐसी बहुत सी अन्य परिस्थितियाँ हैं जो हल्के दंडादेश के पारित किये जाने को उचित ठहराती हैं; क्योंकि प्रकोपन की विपरीत परिस्थितियाँ हैं । “हम इन सब परिस्थितियों को ठीक ठीक रूप से न्यायिक संगणक में नहीं भर सकते क्योंकि वे अपूर्ण एवं अस्थिर समाज में खगोलीय रूप से इतनी सूक्ष्म हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।” फिर भी मृत्युदंड के क्षेत्र को सीमित करने वाले कारकों के विस्तार व संकल्पना को न्यायालय द्वारा धारा 354 (3) में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष दंडनीति के अनुसार लचीला एवं विस्तृत निर्माण प्राप्त करने पर अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । न्यायधीश को कभी खून के प्यासा नहीं होना चाहिये । हत्यारों को फाँसी पर लटकाना उनके लिये कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है । भारत संघ द्वारा प्रदत्त तथ्य एवं आकड़ें यद्यपि अपूर्ण हैं, यह दर्शाते हैं कि पूर्व में न्यायालय में अतिशय विरलता के साथ अतिशय दंड दिया है – यह एक तथ्य है जो उस सावधानी एवं संवेदना को सम्पुष्ट करता है, जिसे इतने गम्भीर मामले में अपने दंड देने के विशेषाधिकार में उनके द्वारा सदैव रखा जाता है । अतः संबंधित को यह बताना आवश्यक है कि हमारे द्वारा बतायी गई विस्तृत उदाहरणात्मक दिशा निदेशों से सहायता प्राप्त न्यायालय, अब से इस दुःसाध्य कार्य को छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखने वाली सतर्कता के साथ करेंगी, उन्हें धारा 354 (3) में दर्शाई गई विधायी नीति के बेहतर मार्ग के साथ निर्देशित किया गया है, जैसे हत्या के दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिये आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद । एक मनुष्य के जीवन के गौरव के लिये, कानून के साधन द्वारा जीवन लेने के लिये प्रतिरोध के अधिकार को मॉगना, एक वास्तविक एवं स्थायी चिंता है । ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक विरल से विरलतम मामलों में वैकल्पिक विकल्प निश्चित रूप से समाप्त न हो गये हों ।

जिसका पालन करते हुए इस न्यायालय ने माछी सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य में ऐसे विरल से विरलतम मामलों के उदाहरणों को वर्गीकृत किया है जहाँ मृत्युदंड दिया जाना उचित ठहराया गया है । कंडिका क्रमांक 39 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किये हैं ।

“39. इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिये निम्नलिखित प्रश्न किये जा सकते हैं एवं उनका उत्तर दिया जा सकता है:—

(अ) क्या अपराध में कोई ऐसी असामान्यता है जो आजीवन कारावास के दंड को अपर्याप्त बनाती है और मृत्युदंड की माँग करती है ?

(ब) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मृत्युदंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि कम करने वाली उन परिस्थितियों को अधिकतम बल दिया गया है जो कि अपराधी के पक्ष में बोलती हैं ?

11. हम अपीलार्थी के कृत्यों में कोई विशेष नैतिक पतन अथवा पाशविकता नहीं पाते हैं जो कि प्रकरण को “विरल से विरलतम” के प्रकरण के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकारी बनाता है ।

12. अतः, उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये गये मृत्युदंडादेश को अपास्त किया जाता है तथा उसके स्थान अपीलार्थी आजीवन कारावास भोगेगा ।

13. अपीलें अनुसारतः स्वीकार की जाती हैं ।

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| ..... | न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े     |
| ..... | न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव |
| ..... | न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी |

नई दिल्ली

जनवरी 17, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।